IN THE COURT OF ADJ-ll
Civil Court, Rosera, (Samastipur)
Title Appeal No.- 47/2017
Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

Date of Order	*Order with initials of the presiding Officer*	*Remarks.*
04-08-2021	श्रीमन् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के आदेश सं0–83 दिनांक701.06. 2021 के आलोक में न्यायिक कार्य Virtual Mode से किया गया। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गयी है। प्रस्तुत वाद आज उत्तरवादी सं0–17 मोहन कुमार मालु एवं 18 महेश कुमार मालु की ओर से आदेश सं0–09, नियम–07 एवं धारा 151 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत दिनांक–05.02.2019 को पारित एकपक्षीय सुनवाई आदेश वापस लेने हेतु दिनांक 17.12.2019 को दाखिल आवेदन तथा अपीलकर्ता द्वारा उक्त आवेदन पर दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 14.01.2020 पर आदेशार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को उक्त आवेदन पर बहस सुना उत्तरवादी सं0–17 मोहन कुमार मालु एवं 18 महेश कुमार मालु की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.12.2019 अन्तर्गत आदेश सं0–09, नियम–07 एवं धारा 151 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत दिनांक–05.02.2019 को एकपक्षीय सुनवाई आदेश वापस किया गया था जिस आदेश के वापस हेतु दाखिल उपरोक्त आवेदन को संचालित करते हुये उनके विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि वर्तमान अपील वाद की जानकारी प्रार्थी उत्तरवादीगणों को गजट प्रकाशन से प्राप्त हुई। आगे पुनः वे कथन करते हैं कि उत्तरवादी को जानकारी होते ही प्रार्थी दिनांक–11.03.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु समयावेदन दाखिल किया। आगे उन्होने यह भी कथन किये कि अभिलेख के अवलोकन से जानकारी मिली है कि श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के न्यायालय में ही दिनांक–05.02.2019 को गजट प्रकाशन का हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र अपीलकर्ता की ओर से दाखिल किया गया तथा उसी दिन दिनांक–05.02.2019 को ही प्रार्थी उत्तरवादीगणों के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हो चुकी है। अतः उनके विद्वान अधिवक्ता एकपक्षीय सुनवाई के आदेश को वापस करने हेतु प्रार्थना किये। अपीलकर्ता की ओर से उत्तरवादी सं0–17 मोहन कुमार मालु एवं 18 महेश कुमार मालु की ओर दाखिल आवेदन दिनांक 17.12.2019 के आलोक में दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 14.01.2020 के माध्यम से संक्षेप में कथन करते हैं कि अपील आवेदन दिनांक–30.12.2017 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया है और इस अपील को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के द्वारा दिनांक–31.05.2018 को ही स्वीकृत किया गया और सभी 22 उत्तरवादी को नोटिस भेजने हुते आदेशित किया गया। आगे उनके विद्वान अधिवक्ता पुनः कथन करते हैं कि उत्तरवादी को नजारत और डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था और अपीलकर्ता को नजारत और डाक सम्मन पर मो0–3000/– रूपया खर्च भी करना पड़ा था। परंतु उत्तरवादीगण ने नोटिस प्राप्त करने के बाद भी इस वाद में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद हिन्दुस्तान दैनिक समाचार में मो0–3500/– रूपया खर्च के बाद एक पक्षीय सुनवाई हेतु नोटिस को	

IN THE COURT OF ADJ-ll
Civil Court, Rosera, (Samastipur)
Title Appeal No.- 47/2017
Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

Cont--
04-08-2021

प्रकाशित करवाया गया। फिर भी उत्तरवादीगण अपीलकर्ता के समय और पैसा की बर्बादी के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 17.12.2019 को खारिज किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद निम्न न्यायालय के अभिलेख के प्राप्ति हेतु लंबित चला आ रहा था जो दिनांक–26.02.2021 को प्राप्त हुआ है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में उत्तरवादी सं0–1 उपस्थित हुए हैं तथा उत्तरवादी सं0 2 से 22 के विरूद्व नजारत के माध्यम एवं डाक के माध्यम से सम्मन निर्गत किया गया । परंतु उक्त उत्तरवादीगण उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2019 को अनुपस्थित उत्तरवादीगण के उपस्थिति हेतु नोटिस प्रकाशन का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 05.02.2019 को उत्तरवादी सं0–2 से 22 के विरूद्व सम्मन का तामिला संपुष्ट करते हुए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने का आदेश पारित किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक उत्तरवादी सं0–17 तथा 18 के विरूद्व सम्मन का व्यक्तिगत तामिला अभिलेख पर संलग्न है। पुनः यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी न्यायिक प्रणाली का यह सर्वोमान्य सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निष्पादन अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं पक्षकार के द्वारा दिये गये अभिवाक के आधार पर किया जाना श्रेयष्कर व न्यायसंगत होता है। वर्तमान मामले में प्रस्तुत अपील वाद निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु लंबित चला आ रहा है तथा इस अपीलवाद में कोई तात्विक कार्यवाही अभीतक प्रारम्भ नहीं कि गई है तथा आवेदक उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 प्रतिउत्तर पत्र दाखिल कर संघर्ष करने के अभिरुचि दर्शाये हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 को उक्त वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसगंत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचनोपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन पश्चात् उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.12.2019 को न्यायहित में स्वीकृत करते हुये उनके विरूद्व आदेशित एक पक्षीय आदेश दिनांक 05.02.2019 को वापस लेकर उन्हें इस वाद में प्रतिउत्तर पत्र दाखिल कर संघर्ष करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसगंत व न्यायोचित प्रतीत होता है। तदानुसार उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 का आवेदन दिनांक 17.12.2019 को उभय पक्ष की संतुलन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मो0 1500/– रु परिव्यय पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे अगर प्रतिउत्तर पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो वाद के अगली नियत तिथि के अंदर निश्चित रूप से दाखिल करें। उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 को यह निर्देश दिया जाता है कि परिव्यय की राशि मो0 1500/– रु अपीलकर्ता को अदा करें।

वाद दिनांक **20.08.2021** वास्ते उत्तरवादी सं0– 17 एवं 18 की ओर से परिव्यय की राशि अदा करने व प्रतिउत्तर पत्र दाखिल करने हेतु। उभयपक्ष बहस हेतु तैयार आवें। **लेखापित**

Cont--

अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय

IN THE COURT OF ADJ-ll

Civil Court, Rosera, (Samastipur)

Title Appeal No.- 47/2017

Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

रोसड़ा, समस्तीपुर।

IN THE COURT OF ADJ-ll

Civil Court, Rosera, (Samastipur)

Title Appeal No.- 47/2017

Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

IN THE COURT OF ADJ-ll

Civil Court, Rosera, (Samastipur)

Title Appeal No.- 47/2017

Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

IN THE COURT OF ADJ-ll

Civil Court, Rosera, (Samastipur)

Title Appeal No.- 47/2017

Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.

IN THE COURT OF ADJ-ll

Civil Court, Rosera, (Samastipur)

Title Appeal No.- 47/2017

Om Prakash Nayak *vs*. Ved Prakash Nayak & Others.